

नगर परिषद, चौमू

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/CHOMU/FIRENOC/2024-25/47970

जारी दिनांक: 25-FEB-2025

वैधता दिनांक:

24-FEB-2026

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: PRINCE COLLEGE CHOMU

आवेदक का पता: OPP RADHASWAMI BAGH CHOMU BY PASS CHOMU
JAIPUR RAJASTHAN 303704

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन PRINCE COLLEGE, 00, OPP RADHASWAMI BAGH, CHOMU BYE PASS, , JAIPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थायी (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोट एवं अतिज्वलनीय पदार्थ नहीं रखा जावे
4. अग्निनामन उपकरण समयावधि में रिफिल करवाना होगा
5. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिा निर्दोष का पालना करना आवश्यक होगा
6. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा
7. भवन का मुख्य अग्निनामन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिंशा पत्र निरस्त माना जायेगा।
8. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पंप व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यील स्थिति में रखने के बाध्य होंगे।
9. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाई जाकर सिस्टम का रख रखाव संचालन करना अनिवार्य होगा
10. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टॉवर में टॉवर की उचाई जितना हर समय रखना होगा
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा
14. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतोर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा
15. 5 वर्ष का फायर सैस जमा करवाने की स्थिति में आगामी सैस नियमानुसार जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
16. बेसमेन्ट में मानवीय गतिविधियां किये जाने पर प्रमाण पत्र निरस्त माना जावेगा।
17. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस का वर्ष में कम से कम दो बार अग्निनामन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक होगा।
18. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस का वर्ष में कम से कम दो बार अग्निनामन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक होगा।



अग्निशमन अधिकारी

नगर परिषद, चौमू